

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

Details / Rules for Career Progression Scheme for Indian Rating

Rating to Officer Scheme

These rules may be called “**Indian Certificate of Competency (CoC) Recognition and Career Progression Scheme, 2026**”, for Indian rating.

1. Commencement

The scheme shall come into force with effect from **01 January 2026**.

2. Objective

The objective of the scheme is to **recognise Indian ratings who upgrade** their qualifications by obtaining an **Indian Certificate of Competency (CoC)** and become **Merchant Navy Officers**, and to encourage **skill upgradation and career advancement** of Indian rating seafarers.

4. Eligibility

4.1 The applicant must be a **rating seafarer** who has successfully passed the **Indian CoC Examination** under **STCW Regulations II/1, III/1 or III/6**, (or NCV) on or after **01.01.2026**, and has qualified to serve as an Officer in the Merchant Navy

4.2 The applicant must have held a **Certificate of Proficiency (COP)** under any of the following STCW Regulations prior to appearing for the CoC examination:

- Regulation II/4
- Regulation II/5
- Regulation III/4
- Regulation III/5
- Regulation III/7

4.3 Only **Indian Certificate of Competency (CoC)** issued by the **Directorate General of Shipping**, Government of India, shall be considered under this scheme.

5. Nature and Quantum of Financial Assistance

5.1 The scheme provides **one-time financial assistance of ₹2,00,000/- (Rupees Two Lakhs only)**.

5.2 The assistance shall be admissible **only for obtaining the first Indian CoC** (Foreign-going or NCV).

6. Time Limit for Submission of Application

The application under this scheme as per format only shall be submitted **within twelve (12) months** from the date of issuance of the Indian CoC, along with all requisite documents.

8. Authority

The decision of the **Committee of Management (COM)** / Competent Authority of SWFS shall be **final and binding**.

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)

Nau Bhavan Building, Ground Floor, R. K. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001

Mob No. 8097552900 / 8097553700,

Email- swfs.dgs@govcontractor.nic.in / swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

Application for One-time Financial Assistance for Indian Certificate of Competency (CoC) Recognition and Career Progression Scheme

1. Personal Details

1. Name of Applicant Seafarer : _____
2. Indian CDC No. : _____
3. Date of Birth : _____
4. Present Address : _____

5. Mobile No. : _____
6. Email ID : _____

2. Certificate of Competency (CoC) and Certificate of Proficiency (CoP) Details

- a. Type of CoC (Tick ✓): ☐ Foreign-going ☐ NCV
- b. STCW Regulation under which CoC issued (Tick ✓):
☐ II/1 ☐ III/1 ☐ III/6
- c. CoC No. : _____
- d. Date of Issue : _____
- e. Issuing Authority : Directorate General of Shipping, Govt. of India
- f. STCW Regulation under which the CoP held (tick ☐)
- g. Regulation II/4 ☐ Regulation II/5 ☐ Regulation III/4 ☐
Regulation III/5 ☐ Regulation III/7 ☐
- h. CoP No. _____
- i. Date of Issue : _____
- j. Issuing Authority : Directorate General of Shipping, Govt. of India

3. Bank Details

1. Name of Account holder : _____
2. Name of Bank : _____
3. Branch : _____
4. Account No. : _____
(only SB a/c and not NRE/NRO)
5. IFSC Code : _____

4. Declaration

I hereby declare that:

- I have obtained my **first Indian Certificate of Competency** on or after 01.01.2026.
- I have **not availed** financial assistance earlier under this scheme.
- I understand that I shall **not be eligible** for financial assistance for any other CoC examination in future.
- The information furnished above is true and correct.

Signature of Applicant

Date: _____

Place: _____

5. List of Documents to be Enclosed (Mandatory Self attested)

1. Copy of Indian CDC
2. Copy of COP
3. Copy of Indian CoC issued by DGS
4. Sea Service Testimonials (Rating & Officer)
5. Proof of Bank Account (Cancelled cheque / Passbook)
6. Aadhaar / Identity Proof

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

विवरण/भारतीय रेटिंग के लिए करियर प्रगति योजना के नियम

अधिकारी योजना के लिए रेटिंग

भारतीय रेटिंग के लिए इन नियमों का नाम "भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र (सीओसी) मान्यता और कैरियर प्रगति योजना, 2026" है।

1. प्रारंभ

यह योजना 01 जनवरी 2026 से लागू होगी।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य भारतीय रेटिंग को पहचानना है जो भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र (सीओसी) प्राप्त करके अपनी योग्यता को उन्नत करते हैं और मर्चेन्ट नेवी अधिकारी बन जाते हैं, और भारतीय रेटिंग नाविकों के कौशल उन्नयन और करियर उन्नति को प्रोत्साहित करना है।

4. पात्रता

4.1 आवेदक एक रेटिंग नाविक होना चाहिए जिसने 01.01.2026 को या उसके बाद एसटीसीडब्ल्यू विनियम II/1, III/1 या III/6, (या एनसीवी) के तहत भारतीय सीओसी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है, और मर्चेन्ट नेवी में एक अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए अर्हता प्राप्त की है

4.2 कोसी परीक्षा में शामिल होने से पहले आवेदक के पास निम्नलिखित में से किसी भी एसटीसीडब्ल्यू विनियम के तहत (सीओपी) का प्रमाणपत्र होना चाहिए:

- विनियम 2/4
- विनियम 2/5
- विनियम III/4
- विनियम 3/5
- विनियम 3/7

4.3 केवल भारतीय नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय योग्यता प्रमाणपत्र (सीओसी) को इस योजना के तहत माना जाएगा।

5. वित्तीय सहायता की प्रकृति और क्वांटम

5.1 यह योजना ₹ 2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये) की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

5.2 सहायता केवल प्रथम भारतीय सीसीओ (विदेश जाने या एनसीवी) प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होगी।

6. आवेदन जमा करने की समय सीमा

इस योजना के तहत प्रारूप के अनुसार आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भारतीय सीसी जारी करने की तारीख से बारह (12) महीनों के भीतर ही प्रस्तुत किया जाएगा।

7. प्राधिकरण

एसडब्ल्यूएफएस की प्रबंधन समिति (सीओएम)/सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौ भवन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, आर. के. मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001

मोबाइल नंबर, 8097552900/8097553700,

ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र (सीओसी) मान्यता और कैरियर प्रगति योजना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता के लिए आवेदन

1. व्यक्तिगत विवरण

1. आवेदनकर्ता नाविक का नाम : _____
2. भारतीय सीडीसी नं : _____
3. जन्म तिथि : _____
4. वर्तमान पता : _____

5. मोबाइल नं : _____
6. ईमेल आईडी : _____

2. योग्यता प्रमाण पत्र (सीओसी) का प्रमाण पत्र विवरण

(क) सीओसी का प्रकार (टिक ✓): ☐ विदेशी-जाने वाला ☐

(ख) एसटीसीडब्ल्यू विनियमन जिसके तहत सीओसी जारी किया गया (टिक): ✓

☐ II/1 ☐ III/1 ☐ III/6

(ग) सीओसी नं. : _____

(घ) जारी करने की तिथि: _____

(ङ) जारीकर्ता प्राधिकरण: नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार

(च) एसटीसीडब्ल्यू विनियमन जिसके तहत सीओपी आयोजित किया गया (टिक) ☐

(छ) विनियम 2/4 विनि ☐ यमन 2/5 ☐ विनियमन 3/4 ☐

a. विनियम III/5 विनि ☐ यमन III/7 ☐

(ज) सीओपी सं. _____

(झ) जारी करने की तिथि: _____

(ञ) जारीकर्ता प्राधिकरण: नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार

3. बैंक विवरण

1. खाताधारक का नाम : _____
2. बैंक का नाम : _____
3. शाखा : _____
4. खाता संख्या : _____
(केवल एसबी खाता और एनआरई/एनआरओ नहीं)
5. आईएफएससी कोड : _____

4. घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि:

- मैंने 01.01.2026 को या उसके बाद अपनी पहली भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।
- मैंने पहले इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है।
- मैं समझता हूँ कि मैं भविष्य में किसी अन्य सीओसी परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं रहूँगा।
- ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

आवेदक की हस्ताक्षर

तिथि: _____

स्थान: _____

5. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (अनिवार्य स्व-सत्यापित)

1. भारतीय सीडीसी की प्रति
2. नौमनि द्वारा जारी भारतीय सीओसी की प्रति
3. समुद्री सेवा प्रशंसापत्र (रेटिंग और अधिकारी)
4. बैंक खाते का प्रमाण (रद्द चेक/पासबुक)
5. आधार/पहचान प्रमाण

